भारत सरकार

भारी उद्योग मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 435

02.12.2025 को उत्तर के लिए नियत

ईवी आयात नीति और उद्योग की कम भागीदारी

435. **श्री बी. मणिक्कम टैगोरः**

श्री विजयकुमार उर्फ विजय वसंतः

श्री सुरेश कुमार शेटकरः

क्या **भारी उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) इलेक्ट्रिक यात्री कारों के विनिर्माण को बढ़ावा देने की योजना (एसपीएमईपीसी) के तहत 21 अक्टूबर की समय-सीमा से पहले एक भी आवेदन नहीं मिलने के क्या कारण हैं;

(ख) सरकार द्वारा ऑटोमोबाइल निर्माताओं को एसपीएमईपीसी योजना के तहत भागीदारी हेतु शामिल करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं और ऑटोमोबाइल उद्योग से मिले सुझाव का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार मानती है कि 4,150 करोड़ रुपए के घरेलू विनिर्माण निवेश के स्थान पर ईवी के आयात के लिए प्रस्तावित शुल्क रियायत (15%) विनिर्माताओं को आकर्षित करने के लिए पर्याप्त है और यदि नहीं, तो क्या किसी समायोजन पर विचार किया जा रहा है;

(घ) क्या सरकार ने वर्तमान में चल रही भारत-ईयू व्यापार वार्ता का इस योजना में ऑटोमोबाइल निर्माताओं की रूचि पर प्रभाव का आकलन किया है और यह नीति के कार्यान्वयन के लिए समय-सीमा को किस तरह प्रभावित करता है; और

(ङ) क्या आवेदन विंडो को फिर से खोलने की कोई योजना है और यदि हाँ, तो भागीदारी के लिए संशोधित समय-सीमा और शर्तों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

भारी उद्योग राज्य मंत्री

(श्री भूपतिराजू श्रीनिवास वर्मा)

(क) : हाल ही में ऑटोमोबाइल ओईएम के साथ हुई हितधारकों की बैठक में, ओईएम द्वारा 21 अक्टूबर की अंतिम तिथि से पहले आवेदन जमा न करने के लिए निम्नलिखित कारण बताए गए हैं।

i. इस स्कीम में भाग लेने का निर्णय भारत-ईयू मुक्त व्यापार समझौते (एफटीए) पर चल रही वार्ताओं के अंतिम रूप से तय होने पर निर्भर है।

ii. रेयर अर्थ मैग्नेट पर रोक से डीवीए लक्ष्य के पूरे होने पर असर पड़ सकता है।

iii. थ्रेशहोल्ड निवेश आवश्यकताएँ और समय-सीमाएँ चुनौती प्रस्तुत कर सकती हैं।

(ख) : भारी उद्योग मंत्रालय ने इस स्कीम में भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए व्यापक हितधारक संपर्क अभियान शुरू किया है, जिसमें स्कीम के निर्माण के दौरान परामर्श, संबंधित दूतावासों (उन देशों के जहाँ वैश्विक ऑटोमोबाइल ओईएम के मुख्यालय स्थित हैं) को आवेदन आमंत्रित करने वाले नोटिस का परिचालन, इंवेस्ट इंडिया, विदेश मंत्रालय, वाणिज्य विभाग, और राज्य/केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के साथ स्कीम के प्रचार और विभिन्न प्लेटफ़ॉर्म और निवेश सुविधा चैनलों के माध्यम से जागरूकता बढ़ाने के लिए सहयोग शामिल है। हाल ही में ओईएम के साथ एक हितधारक परामर्श भी आयोजित किया गया ताकि आगे की दिशा पर चर्चा की जा सके और उद्योग से संबंधित प्रश्नों का समाधान किया जा सके। उद्योग से प्राप्त फीडबैक भाग (क) के उत्तर में दिया गया है।

(ग) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(घ) : सरकार द्वारा ऐसा कोई मूल्यांकन नहीं किया गया है। हालांकि, हाल ही में हुए हितधारक परामर्शों के दौरान, ओईएम ने यह बताया कि वे भारत-ईयू एफटीए को अंतिम रूप दिए जाने के बाद स्कीम में भागीदारी के संबंध में निर्णय ले सकते हैं।

(ङ) : वर्तमान में ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

******